

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/रौंछी/हजारीबाग/
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

रौंछी, दिनांक : 8/10/21

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 49S27010300107 अन्तर्गत 15 कार्यालयों को विभिन्न मदों में कुल रु 535.830 लाख (पाँच करोड़ पैंतीस लाख तेरासी हजार मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03- मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निर्देशन तथा प्रशासन/ 07-मध्यम सिंचाई परियोजना	535.830

कुल आवंटित राशि - रुपये पाँच करोड़ पैंतीस लाख तेरासी हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट उपबंध रु 11486.06 लाख (एक सौ चौदाह करोड़ छियासी लाख छः हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98,1800 (वि.) दि.15.07.2003,1362 दि० 09.05.2016 2747(वि०) दि० 19.09.2016 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- कोषागार से आवंटित राशि की निकासी योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)झारखण्ड सरकार के द्वारा समय- समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जायेगा।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
9. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
11. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आबंटन की अधियाचना के विरुद्ध आबंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आबंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण Online किया जाय। साथ ही इकाईवार पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन हार्ड कापी में Access No एवं Revoke No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्त नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में निहित निदेश/वित्त नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2022 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 136

राँची, दिनांक :- 08/10/21

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. -हिन्नीराँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरंडा/देवघर/हजारीबाग/मधुपुर/गुमला/चाईबासा/सिमडेगा/दुमका/साहेबगंज/ सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 136

राँची, दिनांक :- 08/10/21

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव/सचिव, योजना विभाग/वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता(मो.), राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग, प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पाँच अतिरिक्त प्रतियों में/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव


(प्रशांत कुमार)
सचिव

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक
लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना
भाग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

पत्रांक: 136 दिनांक: 31/10/21 का अनुदानक

परिशिष्ट I

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग														राशि लाख रुपये में	
वित्तीय वर्ष 2021-2022		विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्तें				विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय						विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय	
क्र.सं	कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि	एलएटीसी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दफ्तर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं रखरखाव	विविध प्रकार	कुल योग	अभिव्यक्ति
0	कर्मियों का नाम	विपिन कोड	49S2701030010	49S27010300	49S270103001	49S27010300	49S270103001	49S27010300	49S27010300	49S27010300	49S27010300	49S270103001	49S270103001	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, देवर	पूर्व का आवंटन 140.000 अतिरिक्त आवंटन 10.000 कुल आवंटन 150.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.600 0.100 0.700	0.900 0.400 1.300	0.000 0.000 0.000	0.400 0.400 0.800	0.300 0.000 0.300	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	1.300 0.600 1.900	0.000 0.000 0.000	143.500 11.500 155.000	*
2	जलपथ अंचल, गुमला	पूर्व का आवंटन 75.000 अतिरिक्त आवंटन 10.000 कुल आवंटन 85.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.800 1.000	0.300 0.600 0.900	0.000 0.000 0.000	0.000 0.100 0.100	0.000 0.100 0.200	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.400 0.800 0.700	0.000 0.100 0.000	12.100 88.100 160.970	
3	जलपथ अंचल, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन 157.820 अतिरिक्त आवंटन 0.000	0.000 0.000	0.300 0.000	1.850 0.200	0.800 0.300	0.000 0.000	0.150 0.000	0.200 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.700 0.400	0.000 0.000	161.820 141.000	
4	रूपकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, राँची	पूर्व का आवंटन 70.000 अतिरिक्त आवंटन 210.000 कुल आवंटन 92.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.200 0.600	0.300 0.300 0.500	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.100 0.100 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.400 0.400 0.200	0.000 0.000 0.000	211.000 93.000 31.610	
5	रूपकण अंचल, देवर	पूर्व का आवंटन 30.310 अतिरिक्त आवंटन 122.310 कुल आवंटन 180.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.800 0.200	0.300 0.800 0.200	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.100 0.000 0.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.400 0.600 0.500	0.000 0.000 0.200	181.000 124.610 1.200	
6	सिंचाई अंचल, जसीडीह	पूर्व का आवंटन 180.000 अतिरिक्त आवंटन 0.000 कुल आवंटन 180.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.200 0.400	0.200 0.300 0.500	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.100 0.100 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	1.000 0.400 0.800	0.200 0.200 0.200	182.200 83.000 1.250	
7	सिंचाई अंचल, मधुपुर	पूर्व का आवंटन 82.000 अतिरिक्त आवंटन 0.000 कुल आवंटन 82.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.300 0.800 0.300	0.000 0.000 0.000	0.150 0.000 0.000	0.100 0.100 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.400 0.800 0.400	0.200 0.200 0.000	84.250 54.000 11.500	
8	सिंचाई अंचल, साहेबगंज	पूर्व का आवंटन 53.000 अतिरिक्त आवंटन 10.000 कुल आवंटन 63.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.100 0.300	0.300 0.400 0.700	0.000 0.000 0.000	0.400 0.400 0.400	0.100 0.100 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	1.000 0.300 0.000	0.000 0.000 0.000	65.500 184.750 1.850	
9	आयोजन गुण नियंत्रण एवं मोनो प्रमंडल, देवर	पूर्व का आवंटन 184.000 अतिरिक्त आवंटन 0.000 कुल आवंटन 184.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.250 0.350 0.600	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.300	0.000 0.000 1.500	186.600	

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

वित्तीय वर्ष 2021-2022		विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं नशें				विरुद्ध शीर्ष-02-यात्रा व्यय				विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय				विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां				विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
क्र.सं	कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि	एकलपटीसी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	दर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विविध प्रभार	कुल योग	अभिव्यक्ति						
0		विचय कोड	49S270103001070101	49S2701030001070110	49S270103001070112	49S2701030001070315	49S2701030001070316	49S270103001070323	49S2701030011070333	49S2701030001070334	49S2701030001070337	49S270103001070442	49S270103001070760	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
10	मंगा पम्प नहर प्रमंडल, साहेबगंज	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	191.000 21.370 212.370	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.900	0.200 0.700 0.900	0.250 0.450 0.700	0.000 1.000 1.000	0.000 0.150 0.150	0.050 0.100 0.150	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.300 2.000 2.300	0.000 0.000 0.000	191.800 25.770 217.570						
11	जलपथ प्रमंडल सं.-1, चकधरपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	172.000 74.000 246.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.800 1.000	0.250 0.450 0.700	0.000 0.000 0.000	0.000 0.150 0.050	0.050 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.300 0.300	172.500 75.700 248.200						
12	जलपथ प्रमंडल सं.-1, कैनापुर शिविर गुमला	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	165.000 145.000 310.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.500	0.200 0.300 0.500	0.250 0.300 0.550	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.050	0.050 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.300 0.300	0.000 0.100 0.100	165.500 146.000 311.500						
13	रूपकाण प्रमंडल सं.-2, सैली	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	397.000 87.000 484.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.700	0.200 0.500 0.700	0.250 0.400 0.650	0.000 0.000 0.000	0.050 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.300 0.300	0.100 0.000 0.100	397.500 88.000 485.500						
14	विशेष दू. अर्जन परत। मध्यम सिंचाई परियोजना, दुमका	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	128.000 30.000 158.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.200	0.200 0.000 0.200	0.250 0.000 0.250	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.300	0.000 0.000 0.000	128.750 30.000 158.750						
15	सिंचाई प्रमंडल, सिकरिया	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	197.000 28.000 225.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.300	0.250 0.050 0.300	0.700 0.100 0.800	0.000 0.000 0.000	0.150 0.000 0.250	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.100 0.250 0.350	198.200 28.500 226.700						
	अतिरिक्त आवंटन का योग		515.680	0.000	0.000	5.000	4.650	1.000	1.450	0.200	0.000	0.000	5.100	2.750	535.830						

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपये पाँच करोड़ पैंतीस लाख तेरासी हजार मात्र

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव(प्रशांत कुमार)
सचिव136
8/10/21